भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2857
उत्तर देने की तारीख: 10.03.2026

सामाजिक सुरक्षा पेंशन

2857. श्री सुनील बोस:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्नाटक और विशेषकर चामराजनगर जिलों में महिलाओं, वृद्धों और दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) कर्नाटक राज्य और विशेषकर पृथक रूप से चामराजनगर जिलों में महिलाओं, वृद्धों और दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को दी जाने वाली पेंशन राशि का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेषकर चामराजनगर जिले में लाभार्थियों के लिए पेंशन राशि में पिछली बार किस समय संशोधन किया गया था;

(घ) क्या केंद्र सरकार को पेंशन राशि में वृद्धि के लिए संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार की कर्नाटक में लाभार्थियों के लिए पेंशन राशि बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि वह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का कार्यान्वयन करता है जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के सदस्यों को कवर करने वाली 100% केन्द्रीय वित्त पोषित योजना है। इसमें निम्नलिखित तीन पेंशन योजनाएं शामिल हैं:

i. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)** – इस योजना के अंतर्गत 60-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को 200/- रु. प्रति माह और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 500/- रुपये प्रतिमाह की सहायता प्रदान की जाती है।

ii. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस)** - इस योजना के अंतर्गत 40-79 वर्ष की आयु की विधवाओं को 300/- रुपये प्रति माह और 80 वर्ष और उससे अधिक की विधवाओं को 500/- रुपये प्रतिमाह की सहायता प्रदान की जाती है।

iii. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)** - इस योजना के अंतर्गत गंभीर या बहु-दिव्यांगता वाले 18-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को 300/- रुपये प्रति माह तथा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 500/- रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान की जाती है।

एनएसएपी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता के अलावा टॉप-अप प्रदान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। चामराजनगर जिले सहित कर्नाटक राज्य द्वारा प्रदान किए गए टॉप-अप का विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य	आईजीएनओएपीएस						आईजीएनडब्ल्यूपीएस			आईजीएनडीपीएस		
	60-79 वर्ष			80 वर्ष और उससे अधिक								
	केंद्र सरकार	राज्य सरकार	कुल	केंद्र सरकार	राज्य सरकार	कुल	केंद्र सरकार	राज्य सरकार	कुल	केंद्र सरकार	राज्य सरकार	कुल
कर्नाटक	200	400-1000	600-1200	500	700	1200	300	500	800	300	1100	1400

चामराजनगर जिले सहित कर्नाटक राज्य में एनएसएपी के तहत लाभार्थियों की संख्या की योजना-वार अधिकतम सीमा नीचे दी गई है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईजीएनओएपीएस	आईजीएनडब्ल्यूपीएस	आईजीएनडीपीएस
कर्नाटक	899422	452027	44825

(ग), (घ) और (ङ): वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगता पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पेंशन राशि के प्रारंभिक निर्धारण का वर्ष क्रमशः 1995, 2009 और 2009 है। योजना दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित सहायता में संशोधन के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा नहीं है। तथापि, वर्ष 2007 में वृद्धावस्था योजना के तहत पेंशन राशि को 75 रुपये से संशोधित कर 200 रुपये कर दिया गया था। वर्ष 2011 में 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया था। इसके अलावा, विधवा पेंशन और दिव्यांगता पेंशन के तहत सहायता को वर्ष 2012 में 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया था।

विभिन्न सिफारिशों और मूल्यांकन अध्ययनों के आधार पर, 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-26) के दौरान एनएसएपी को जारी रखने के क्रम में इसके पुनर्गठन के एक प्रस्ताव पर विचार किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पात्रता मानदंडों, सहायता की दर और राज्यों के साथ साझाकरण व्यवस्था में संशोधन शामिल था। तथापि, सरकार ने एनएसएपी स्कीमों को उनके वर्तमान स्वरूप में जारी रखने का अनुमोदन कर दिया है। वर्तमान में, एनएसएपी के अंतर्गत सहायता की कवरेज/दर को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****